प्रपत्र -8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी) राजीव गांधी सेवा केन्द्र बावलास

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 670../2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ...बावलास....., भू अ0नि0 वृत्त .....रूद..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ..... मिरनिया खेड़ी तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् .... के खाता संख्या ....65..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मि.खेड़ी	65	किशनलाल पुत्र हीरा	किशनलाल पुत्र हीरालाल

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांकः सरिश्ता/5-11(670)2021 दिनांक :- 24/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ...किशनलाल पुत्र हीरालाल..... को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vasseeta
Date: 2021.12.08 11:54:54 IST
Reason: SelfAttested